न्यायालय सहायक कलक्टर, (Fast Track) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :–श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कोर्ट केम्प खुड़ासा
राजस्व वाद संख्या :–44 / 2023

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 मोतीलाल 2 जुगल किशोर 3 बाबुलाल 4 डालुराम पिसरान हीराराम जाति जाट निवासी खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण 5 जोगी पुत्री हीराराम पत्नी अर्जुनराम जाति जाट निवासी हीरा नगर नोखड़ा तहसील नोखडा जिला बाडमेर।	बनाम	1 हीराराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :–

1. वादीगण।
2. प्रतिवादी।

निर्णय

दिनांक 15/06/23

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एंव प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि मौजा खुड़ासा पटवार क्षेत्र खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 41 रकबा 184.06 बीघा, खसरा संख्या 45 रकबा 210.00 बीघा, खसरा संख्या 52 रकबा 268.09 बीघा, खसरा संख्या 50 रकबा 0.02 बीघा, खसरा संख्या 51 रकबा 0.03 बीघा भूमि आई हुई है। वक्त सेटलमेन्ट वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी के पूर्व पुरूष किशनाराम के नाम दर्ज हुई तथा किशनाराम के देहान्त पश्चात उक्त भूमि प्रतिवादी हीराराम एवं उसके सगे भाई भोमाराम के नाम दर्ज हुई। वर्तमान में प्रतिवादी भोमाराम व हीराराम ने आपस में विभाजन करवा कर अपना हिस्सा अलग करवा दिया है। वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी की खातेदारी की भूमि मौजा खुड़ासा पटवार क्षैत्र खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 430/41 रकबा 04.5325 हैक्टेयर, खसरा संख्या 431/52 रकबा 28.3765 हैक्टेयर, खसरा संख्या 50 रकबा 0.0162 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी का पैतृक वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का आया हुआ है। लिहाजा मौजा खुड़ासा पटवार क्षैत्र खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 430/41 रकबा 04.5325 हैक्टेयर, खसरा संख्या 431/52 रकबा 28.3765 हैक्टेयर, खसरा संख्या 50 रकबा 0.0162 हैक्टेयर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रशासन गावों के संग अभियान–2023 कोर्ट केम्प खुडासा में मजमे आम में वादीगण एवं प्रतिवादी को आवाज लगाई गई। वादीगण एव प्रतिवादी उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान की पहचान भू–अभिलेख निरीक्षक सरली ने दी। प्रतिवादी ने जवाब दावा एवं वादीगण एवं प्रतिवादी ने राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी की पैतृक खातेदारी अधिकारों की भूमि मौजा खुडासा पटवार क्षैत्र खुडासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 430/41 रकबा 04.5325

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)

...टेयर, खसरा संख्या 431/52 रकबा 28.3765 हैक्टेयर, खसरा संख्या 50 रकबा 0.0162 हैक्टेयर भूमि आई हुई है तथा वादीगण प्रतिवादी के जायन्दा सन्तान होने के कारण उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का आया हुआ है। लिहाजा मौजा खुड़ासा पटवार क्षैत्र खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 430/41 रकबा 04.5325 हैक्टेयर, खसरा संख्या 431/52 रकबा 28.3765 हैक्टेयर, खसरा संख्या 50 रकबा 0.0162 हैक्टेयर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है तो प्रतिवादी को कोई आपति नही है।

वादी संख्या 01 मोतीलाल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के समर्थन में चालु जमाबन्दियां, नक्शा, नकल बन्दोबस्त की प्रतियां प्रस्तुत की है, जो प्रदर्श–1 से प्रदर्श–4 है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा मौजा खुड़ासा पटवार क्षैत्र खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 430/41 रकबा 04.5325 हैक्टेयर, खसरा संख्या 431/52 रकबा 28.3765 हैक्टेयर, खसरा संख्या 50 रकबा 0.0162 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी हीराराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 प्रदर्श–01 एवं जमाबन्दी संवत 2074 से 2077, प्रदर्श–02 व नक्शा प्रदर्श–03 से प्रदर्श–04 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादी प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा खुड़ासा पटवार क्षैत्र खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 430/41 रकबा 04.5325 हैक्टेयर, खसरा संख्या 431/52 रकबा 28.3765 हैक्टेयर, खसरा संख्या 50 रकबा 0.0162 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी हीराराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। **अतः तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण निर्णय की पालना करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
बाडमेर

निर्णय आज दिनांक 15/06/23 को मजमे आम में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
बाडमेर